न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

प्र.क्र. 15/31/24
12/03/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	[illegible] आमद / SHO गोविन्दगढ़

20/1/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ... हेतु [illegible]
दिनांक 17.2.25 को पेश हो।

17/2/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ... हेतु [illegible]
दिनांक 11/3/25 को पेश हो।

11/3/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में
व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ... हेतु [illegible]
दिनांक 8/4/25 को पेश हो।

8/4/25
आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील अनु०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के आदेश दिनांक 20.5.24 के द्वारा प्रार्थी को आदेशित किया गया कि जब्त शुदा वाहन मोटरसाईकिल HF Delxe रजिस्ट्रेशन नं० RJ05-SQ4172 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी 40,000/- (चालीस हजार रु.) का सुपुर्दनामा एवं तस्दीक शुदा जमानतनामा पेश कर दिया जावे तो वाहन को नियमानुसार रिलीज कर दिये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्राप्ति ~~[illegible]~~ सुपुर्दनामा पेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अन्तराल में भी सुपुर्दगीनामा एवं तस्दीक शुदा जमानतनामा पेश नहीं किया गया। इस हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के अनावश्यक प्रकरण को चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थी सुपुर्दगीनामा एवं तस्दीक शुदा जमानतनामा पेश करने में असफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)